



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122021-231921
CG-DL-E-16122021-231921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 16, 2021/अग्रहायण 25, 1943
No. 367] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 2021/AGRAHAYANA 25, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2021
सं. 43 / 2015-20

विषय : संशोधित आईटीसी (एचएस), 2017 के साथ परिशिष्ट 3ख (तालिका-2) में एमईआईएस अनुसूची को सुमेलित करना।

फा. सं. 01/61/180/107/एम21/पीसी-3/ई-23249.—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा 27.03.2020 से निर्यात के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित एमईआईएस के परिशिष्ट 3ख, तालिका 2 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

क. 27.03.2020 से 31.12.2020 तक निर्यात के लिए एचएस कोड 85414012 परिशिष्ट 3ख, तालिका 2 में जोड़ा जाता है।

एमईआईएस क्रम संख्या	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	27 मार्च, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक अनुमत निर्यात आदेश के साथ निर्यात के लिए प्रतिशत में एमईआईएस दर
8145	85414012	सोलर सैल, पैनल पर बने हुए या मॉड्यूल में एस्सेम्बल्ड	2

ख) परिशिष्ट 3ख, तालिका 2 में निम्नलिखित का विवरण संशोधित किया गया है।

एमईआईएस क्रम संख्या	आईटीसी (एचएस) कोड	मौजूदा विवरण	27 मार्च, 2020 से निर्यात के लिए संशोधित विवरण
7046	85414011	सोलर सैल, मॉड्यूल या पैनल में एस्सेम्बल्ड हो या न हो	सोलर सैल, बिना एस्सेम्बल्ड

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: एमईआईएस अनुसूची परिशिष्ट 3ख की तालिका 2 में कतिपय बातें जोड़ी गई हैं/संशोधन किए गए हैं जिससे अधिसूचना संख्या 48 दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 और वित्त अधिनियम 2020 द्वारा यथा अधिनियमित परिवर्तनों के साथ इन्हें सुमेलित किया जा सके।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th December, 2021

No. 43 /2015-20

Subject : Harmonising MEIS Schedule in the Appendix 3B (Table-2) with amended ITC (HS), 2017.

F. No. 01/61/180/ 107/AM21/PC-3/E-23249.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Appendix 3B, Table 2 of the MEIS, as amended from time to time, for exports with effect from 27.03.2020 .

A. HS Code 85414012 is added in Appendix 3B, Table 2 for exports with effect from 27.03.2020 to 31.12.2020

MEIS Sl. No.	ITC(HS) Code	Description	MEIS rate in %age for exports with LEO Date from 27.03.2020 to 31.12.2020
8145	85414012	Solar Cells, assembled in modules or made up into panels	2

B. The description of the following is corrected in Table 2 of Appendix 3B , Table 2.

MEIS Sl. No.	ITC(HS) Code	Existing Description	Correct Description for exports with effect from 27.03.2020
7046.	85414011	Solar cells whether or not assembled in modules or panels	Solar Cells, not assembled

Effect of Public Notice:- Certain additions/amendments have been made to Table 2 of Appendix 3B, the MEIS schedule to harmonize it with Notification No. 48 dated 22.12.2020 and changes as enacted by the Finance Act 2020.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.